



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05022026-269837
CG-DL-E-05022026-269837

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 495]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 2026/माघ 15, 1947

No. 495]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2026/MAGHA 15, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2026

का.आ. 524(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-135B के सिरमौर - डभौरा खंड के कि.मी. 36+700 से कि.मी. 73+813 तक के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2-लेन/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिरमौर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

मध्य प्रदेश राज्य के रीवा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-135B के सिरमौर - डभौरा खंड के कि.मी. 36+700 से कि.मी. 43+500 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: मध्य प्रदेश			जिले का नाम: रीवा		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: सिरमौर					
गांव का नाम: सिरमौर					
1	1168	सामान्य	कृषि (निजी/सरकारी)	0.0148 (हेक्टेयर)	0.0148
2	1170	निजी	कृषि/आवासीय	0.0673 (हेक्टेयर)	0.0673
3	1171	सरकारी	कृषि	0.0693 (हेक्टेयर)	0.0693
4	1172	सरकारी	कृषि	0.0214 (हेक्टेयर)	0.0214
5	1201/1	निजी	कृषि/आवासीय	0.0123 (हेक्टेयर)	0.0123
6	1205	सामान्य	कृषि (निजी/सरकारी)	0.0006 (हेक्टेयर)	0.0006
7	1206/1	सरकारी	कृषि	0.0042 (हेक्टेयर)	0.0042
8	1215	सरकारी	कृषि	0.0145 (हेक्टेयर)	0.0145
9	1216	सामान्य	कृषि (निजी/सरकारी)	0.0088 (हेक्टेयर)	0.0088
10	1217	निजी	कृषि	0.016 (हेक्टेयर)	0.016
11	1218	सरकारी	कृषि	0.0113 (हेक्टेयर)	0.0113
12	1222/1	निजी	कृषि	0.0374 (हेक्टेयर)	0.0374
13	1223/1	निजी	कृषि/आवासीय	0.0031 (हेक्टेयर)	0.0031
14	1225	सरकारी	कृषि	0.0059 (हेक्टेयर)	0.0059
15	1240	निजी	कृषि/आवासीय	0.0319 (हेक्टेयर)	0.0319
16	130/1	निजी	कृषि/आवासीय	0.2251 (हेक्टेयर)	0.2251
17	131	सामान्य	कृषि (निजी/सरकारी)	0.0073 (हेक्टेयर)	0.0073
18	132	सरकारी	कृषि	0.0487 (हेक्टेयर)	0.0487
19	133/1	निजी	कृषि/आवासीय	0.0227 (हेक्टेयर)	0.0227
20	140	सरकारी	कृषि	0.0376 (हेक्टेयर)	0.0376
21	141	सरकारी	कृषि	0.1905 (हेक्टेयर)	0.1905
22	174	निजी	कृषि	0.0619 (हेक्टेयर)	0.0619
23	175	निजी	कृषि	0.2291 (हेक्टेयर)	0.2291
24	179	सामान्य	कृषि (निजी/सरकारी)	0.0718 (हेक्टेयर)	0.0718

25	180	सामान्य	कृषि (निजी/सरकारी)	0.0976 (हेक्टेयर)	0.0976
26	181	सामान्य	कृषि/आवासीय (निजी/सरकारी)	0.1127 (हेक्टेयर)	0.1127
27	191/6	सरकारी	कृषि	0.4392 (हेक्टेयर)	0.4392
28	2083	सामान्य	कृषि (निजी/सरकारी)	0.0055 (हेक्टेयर)	0.0055
29	215	निजी	कृषि	0.1029 (हेक्टेयर)	0.1029
30	217/2	सरकारी	कृषि	0.0935 (हेक्टेयर)	0.0935
31	219	निजी	कृषि	0.0011 (हेक्टेयर)	0.0011
32	220	निजी	कृषि	0.1139 (हेक्टेयर)	0.1139
33	221	निजी	कृषि	0.5581 (हेक्टेयर)	0.5581
34	261	सामान्य	कृषि (निजी/सरकारी)	0.5629 (हेक्टेयर)	0.5629
35	265	निजी	कृषि/ व्यावसायिक	0.1599 (हेक्टेयर)	0.1599
36	269	सामान्य	कृषि/आवासीय (निजी/सरकारी)	0.7524 (हेक्टेयर)	0.7524
37	272	सामान्य	कृषि (निजी/सरकारी)	0.3081 (हेक्टेयर)	0.3081
38	274	निजी	कृषि	0.135 (हेक्टेयर)	0.135
39	275/2	सरकारी	कृषि	0.3908 (हेक्टेयर)	0.3908
40	290	सामान्य	कृषि (निजी/सरकारी)	0.1841 (हेक्टेयर)	0.1841
41	291	निजी	कृषि/वाणिज्यिक	0.0239 (हेक्टेयर)	0.0239
42	298	निजी	कृषि	0.2155 (हेक्टेयर)	0.2155
43	94	सामान्य	एग्रीकल्चर (निजी/सरकारी)	0.0358 (हेक्टेयर)	0.0358
Total					5.5064

[फा. सं. CE-ROBPL/30010/77/25-26/3A1]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd February, 2026

S.O. 524(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/two lane with paved shoulder/four laning etc.), maintenance, management and operation of NH-135B section of Sirmaur - Dabhaura in the stretch of land from Km. 36+700 to Km. 73+813 in the district of REWA in the state of MADHYA PRADESH, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, SDM (Revenue) Sirmour in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling NH-135B section of Sirmaur - Dabhaura in the stretch of land from Km. 36+700 to Km. 43+500 in the district of REWA in the state of MADHYA PRADESH

State: MADHYA PRADESH			District: REWA		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Sirmour					
Village: Sirmour					
1	1168	Common	Agriculture (Private/ Government)	0.0148 (Hectare)	0.0148
2	1170	Private	Agriculture/ Residential	0.0673 (Hectare)	0.0673
3	1171	Government	Agriculture	0.0693 (Hectare)	0.0693
4	1172	Government	Agriculture	0.0214 (Hectare)	0.0214
5	1201/1	Private	Agriculture/ Residential	0.0123 (Hectare)	0.0123
6	1205	Common	Agriculture (Private/ Government)	0.0006 (Hectare)	0.0006
7	1206/1	Government	Agriculture	0.0042 (Hectare)	0.0042
8	1215	Government	Agriculture	0.0145 (Hectare)	0.0145
9	1216	Common	Agriculture (Private/ Government)	0.0088 (Hectare)	0.0088
10	1217	Private	Agriculture	0.016 (Hectare)	0.016
11	1218	Government	Agriculture	0.0113 (Hectare)	0.0113
12	1222/1	Private	Agriculture	0.0374 (Hectare)	0.0374
13	1223/1	Private	Agriculture/ Residential	0.0031 (Hectare)	0.0031
14	1225	Government	Agriculture	0.0059 (Hectare)	0.0059
15	1240	Private	Agriculture/ Residential	0.0319 (Hectare)	0.0319
16	130/1	Private	Agriculture/ Residential	0.2251 (Hectare)	0.2251
17	131	Common	Agriculture (Private/ Government)	0.0073 (Hectare)	0.0073
18	132	Government	Agriculture	0.0487 (Hectare)	0.0487
19	133/1	Private	Agriculture/ Residential	0.0227 (Hectare)	0.0227
20	140	Government	Agriculture	0.0376 (Hectare)	0.0376
21	141	Government	Agriculture	0.1905 (Hectare)	0.1905
22	174	Private	Agriculture	0.0619 (Hectare)	0.0619
23	175	Private	Agriculture	0.2291 (Hectare)	0.2291
24	179	Common	Agriculture (Private/ Government)	0.0718 (Hectare)	0.0718
25	180	Common	Agriculture (Private/ Government)	0.0976 (Hectare)	0.0976
26	181	Common	Agriculture/ Residential (Private/ Government)	0.1127 (Hectare)	0.1127
27	191/6	Government	Agriculture	0.4392 (Hectare)	0.4392

28	2083	Common	Agriculture (Private/ Government)	0.0055 (Hectare)	0.0055
29	215	Private	Agriculture	0.1029 (Hectare)	0.1029
30	217/2	Government	Agriculture	0.0935 (Hectare)	0.0935
31	219	Private	Agriculture	0.0011 (Hectare)	0.0011
32	220	Private	Agriculture	0.1139 (Hectare)	0.1139
33	221	Private	Agriculture	0.5581 (Hectare)	0.5581
34	261	Common	Agriculture (Private/ Government)	0.5629 (Hectare)	0.5629
35	265	Private	Agriculture/ Commercial	0.1599 (Hectare)	0.1599
36	269	Common	Agriculture/ Residential (Private/ Government)	0.7524 (Hectare)	0.7524
37	272	Common	Agriculture (Private/ Government)	0.3081 (Hectare)	0.3081
38	274	Private	Agriculture	0.135 (Hectare)	0.135
39	275/2	Government	Agriculture	0.3908 (Hectare)	0.3908
40	290	Common	Agriculture (Private/ Government)	0.1841 (Hectare)	0.1841
41	291	Private	Agriculture/ Commercial	0.0239 (Hectare)	0.0239
42	298	Private	Agriculture	0.2155 (Hectare)	0.2155
43	94	Common	Agriculture (Private/ Government)	0.0358 (Hectare)	0.0358
Total					5.5064

[F. No. CE-ROBPL/30010/77/25-26/3A1]

SAIKH AMINKHAN, Director